

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण। (स्थापना शाखा)

प्रियंका रानी, (बि०शि०से०)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्थापना, सारण।



बिहार सरकार

शिक्षा भवन, जिला स्कूल कैम्पस
सारण-841301
E-mail: dpoest.saran@gmail.com

पत्रांक

सेवा में,

सभी प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक,
सभी शिक्षक, सभी कोटि के विद्यालय, सारण
सभी प्रखण्ड लेखा सहायक, सारण
सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, सारण।

छपरा दिनांक.....2026

विषय:- ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर शिक्षकों के प्रोफाईल अद्यतनीकरण (Update) करने के संबंध में।
प्रसंग:- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 07/शि०को०-23-03/2026-2450 दिनांक 19.08.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र द्वारा बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली, 2026 के तहत अधिशेष शिक्षकों के समायोजन/समानुपातीकरण की प्रक्रिया के क्रम में कतिपय शिक्षकों द्वारा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर प्रोफाईल अद्यतन नहीं होने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। विभागीय स्तर से शिक्षकों के प्रोफाईल को अद्यतन कराने हेतु पुनः एक अन्तिम अवसर प्रदान किया गया है।

उक्त विभागीय आदेश का अनुपालन हेतु आप सभी को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाता है-

1. स्वयं प्रोफाईल की जाँच:- सभी शिक्षक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दर्ज अपनी प्रोफाईल की प्रविष्टियों की सूक्ष्मता से स्वयं जाँच कर लें ताकि कोई त्रुटि शेष न रहे।
2. पंजीकरण, पदस्थापन एवं व्यक्तिगत सूचना में सुधार:- यदि किसी शिक्षक के प्रोफाईल के उप शीर्ष 1 (पंजीकरण), 2 (पदस्थापन का विवरण) एवं 3 (व्यक्तिगत सूचना) में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है, तो सम्बन्धित शिक्षक साक्ष्य/अभिलेख सहित अपना लिखित आवेदन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को शीघ्र समर्पित करेंगे। सत्यापनोंपरान्त इसे जिला स्तर से अद्यतन कर दिया जायेगा।
3. मुख्यालय स्तर से संशोधन वाले बिन्दु:- शिक्षक प्रोफाईल के उप शीर्ष (पंजीकरण) अन्तर्गत नियुक्ति का प्रकार (क्र०सं० 10), शिक्षक का प्रकार (क्र०सं० 11) एवं शिक्षक का उप प्रकार (क्र०सं० 12) का अद्यतनीकरण राज्य मुख्यालय स्तर से किया जाना है। अतः ऐसे मामलों में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी सम्बन्धित साक्ष्यों के साथ संकलित सूची जिला कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे, ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा के साथ राज्य मुख्यालय को प्रेषित किया जा सके।
4. स्थानान्तरण/समायोजन आवेदकों हेतु निर्देश:- ऐसे शिक्षक जिन्होंने पूर्व में समायोजन/समानुपातीकरण अथवा पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया है, उनके प्रोफाईल में तत्काल कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्थानान्तरण प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त ही संशोधन संभव हो सकेगा।

5. प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी एवं लेखासहायक की भूमिका:- सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी एवं लेखा सहायक अपने-अपने प्रखण्डाधीन विद्यालयों के सभी शिक्षकों के आवेदनों का त्वरित संकलन एवं अग्रसारण हेतु दिनांक 22.08.2026 एवं 24.08.2026 को अपने-अपने प्रखण्ड संसाधन केन्द्र में उक्त हेतु कैम्प आहूत करते हुए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त कर उसको संकलित करेंगे, तत्पश्चात् दिनांक 25.08.2026 एवं 27.08.2026 को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में एक तकनीकी कर्मी (लैपटॉप सहित) के साथ उपस्थित होकर निदेशानुसार कार्यों का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता आवांछनीय होगी।

विशेष निर्देश (अंतिम तिथि) विभागीय निर्देशानुसार प्रोफाईल सुधार की सम्पूर्ण प्रक्रिया दिनांक 28.08.2026 तक प्रत्येक परिस्थिति में पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा एवं त्रुटि अवशेष रहने की स्थिति में जवाबदेही सम्बन्धित शिक्षक/प्रधानाध्यापक एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी की होगी।
अनुलग्नक:-प्रपत्र की प्रति संलग्न।

विश्वसभाजन
21/8/26
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना सारण।

ज्ञापांक 5995 उपरा दिनांक 21-08-2026

प्रतिलिपि: - जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि - क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

21/8/26
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना सारण।

कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण।

प्रपत्र-2 जिला स्तर (DPO स्थापना) से संशोधन हेतु प्रखंड स्तरीय संकलित प्रतिवेदन प्रपत्र
(उप शीर्ष 1 पंजीकरण समान्य, उप शीर्ष 2 पदस्थापन विवरणी एवं उप शीर्ष व्यक्तिगत सूचना के आधार हेतु)

प्रखण्ड का नाम-

कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या.....

समर्पण तिथि08 / 206

क्र०	विद्यालय का नाम एवं U Dise Code	शिक्षक का नाम एवं पदनाम	ई-शिक्षागोष शिक्षक आई0डी0	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या.....			वांछित सही विवरणी (संशोधन उपरान्त)	
				संशोधन का क्षेत्र (उप शीर्ष 1/2/3)	सुधार हेतु वांछित फील्ड का नाम (DOB/DOJ/Category/Subje ct etc.)	पोर्टल पर वर्तमान गलत प्रविष्टि	संशोधन हेतु सही प्रविष्टि	संलग्न साक्ष्य / BEO मंतव्य
1				उप शीर्ष 2 (पदस्थापन)	योगदान तिथि (DOJ)	05.03.22	15.03.22	सेवापुस्तिका/योग दान प्रपत्र
2				उप शीर्ष 3 (पदस्थापन)	दिव्यांगता श्रेणी/लिंग/कोटि	General	EBC/PH	सक्षम प्राधिकार / प्रमाण पत्र
3				उप शीर्ष 1 (पदस्थापन)	पंजीकरण विवरणी			प्रमाण पत्र/आवेदन
4								
5								

नोट एवं प्रमाणीकरण :- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी विवरणी की जाँच प्रखंड स्तर पर मूल सेवा अभिलेख/प्रमाण पत्रों से कर ली गई है। उक्त शिक्षक स्थानांतरण / सामायोजन हेतु ऑनलाईन आवेदक नहीं है। सुधार हेतु जिला स्थापना शाखा को अग्रसारित किया जाता है।

प्रखंड साधन सेवा/लेखापाल
(जोचकर्ता)

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
(हस्ताक्षर एवं मुहर)

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण।

प्रपत्र-1 राज्य मुख्यालय स्तर से संशोधन हेतु संकलित अनुशंसा विवरणी (मुख्यालय प्रेषण हेतु)

(विभागीय पत्रांक-2025 दिनांक-19.08.2026 के आलोक में उप शीर्ष 1 पंजीकरण के क्र० सं० 10, 11, एवं 12 में संशोधन)

जिला का नाम-सारण

प्रखण्ड का नाम.....

प्रतिवेदन दिनांक.....08/206

क्र०	प्रखंड का नाम	विद्यालय का नाम एवं U Dise Code	शिक्षक का नाम एवं पदनाम	ई-शिक्षाकाष शिक्षक आईडी	वर्तमान में पोर्टल पर दर्ज विवरणी (गलत/अद्यतन हेतु)			वांछित सही विवरणी (संशोधन उपरान्त)			संलग्न साक्ष्य/अभिलेख का विवरण
					नियुक्ति का प्रकार (क्र० सं० 10)	शिक्षक का प्रकार (क्र० सं० 11)	शिक्षक का उप प्रकार (क्र० सं० 12)	नियुक्ति का प्रकार (क्र० सं० 10)	शिक्षक का प्रकार (क्र० सं० 11)	शिक्षक का उप प्रकार (क्र० सं० 12)	
1											
2											
3											
4											
5											

नोट एवं प्रमाणीकरण :- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त शिक्षकों के मूल सेवा समुच्चि, नियोजन/नियुक्ति आदेश एवं अभिलेखों की सूक्ष्मता से जाँच कर ली गई है। उक्त शिक्षक द्वारा स्थानांतरण/समायोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन नहीं दिया गया है तथा प्रविष्टि सही पाई गई है। इसे राज्य मुख्यालय स्तर से अद्यतन करने हेतु अनुशंसित किया जाता है।

प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी
(हस्ताक्षर एवं मुहर)